न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00327

सत्यनारायण आयु 51 वर्ष आत्मज श्री नन्दकिशोर जाति खाती निवासी जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. तरसेम गर्ग आत्मज श्री रामकुमार गर्ग जाति महाजन आुय 46 वर्ष निवासी मं0 नं0 42 ए, नारकोटिक्स कॉलोनी महावीर नगर, प्रथम कोटा ।
2. महावीर आयु 48 वर्ष आत्मज श्री नन्दकिशोर जाति खाती निवासी जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. ओमप्रकाश आत्मज श्री मोडूलाल जाति खाती निवासी नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. मोहन लाल आयु 56 वर्ष आत्मज श्री नन्दकिशोर जाति खाती निवासी जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि स्वयं के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1059/547 रकबा 04 बीघा वाके ग्राम

जाखमूण्ड में स्थित है । उक्त भूमि पर पहुंचने के लिए अप्रार्थी श्री मोहनलाल, सत्यनारायण, महावीर पिसरान नन्दकिशोर निवासी जाखमूण्ड एवं ओमप्रकाश आत्मज मोडूलाल निवासी नोताडा भोपत की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1057/541 रकबा 04 बीघा से पहुंच मार्ग के डीएलसी दर पर भूमि उपलब्ध कराने का कथन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.03.2018 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए डीएलसी दर का दोगुना राशि जमा कराने पर नया रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 02 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि तहसीलदार तालेडा ने जॉच रिपोर्ट अपीलान्ट की उपस्थिति में नहीं बनाई और न ही उक्त रिपोर्ट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनकी अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय सुनाने के बाद कई दिनों तक तैयार नहीं किया । अपीलान्ट को दिनांक 04.05.2018 को अपीलाधीन निर्णय की नकल दी गई तब अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) के तहत पेश कर यह कथन किया कि खसरा नम्बर 1059/547 रकबा 04 बीघा वाके ग्राम जाखमूण्ड के खातेदार कृषक हैं और अपने खेत पर पहुंचने के लिए उसे खसरा नम्बर 1057/541 रकबा 04 बीघा में से रास्ता प्रदान किया जावे । अपीलान्ट के द्वारा जवाब पेश किया गया और यह कथन किया गया कि जिस जगह रास्ते की प्रार्थना की गई है वहॉ पर ओमप्रकाश आत्मज मोडूलाल का कब्जा नहीं है वरन् उक्त भूमि सत्यनारायण को ही बंटवारे में प्राप्त हुई है । रेस्पोडेन्ट के खेत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है । आवेदित रास्ते का कभी प्रयोग नहीं किया गया है । अपीलान्ट ने यह भी कथन किया था कि पक्षकारों

की मौजूदगी में पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जावे जो तलब नहीं की गई है । एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर रास्ते का आदेश पारित किया गया है । रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2018 अपास्त किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट यह कथन करते हैं कि वैकल्पिक रास्ता मौजूद है परन्तु कौनसा वैकल्पिक रास्ता मौजूद है यह उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय अथवा अपीलीय न्यायालय में स्पष्ट नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय में जो उनके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें डीएलसी के 03 गुना दर से मुआवजे की मांग की गई है जबकि नियमानुसार 03 गुना मुआवजा नहीं दिया जा सकता । उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर सत्यनारायण का कब्जा है इसलिए अन्य सहखातेदारों को मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जावे परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अराजी का बंटवारा नहीं हुआ है । आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है ऐसी स्थिति में मुआवजे का भुगतान प्रत्येक सहखातेदार को हिस्से अनुसार किया जाना विधिक रूप से अनिवार्य है । अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रिपोर्ट तलब की गई है । पत्रावली पर संलग्न नजरी नक्शा एवं रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट के बाबत् कोई आपत्ति नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2018 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 संलग्न है जिसके अनुसार मोहनलाल, सत्यनारायण, महावीर पिसरान नन्दकिशोर, मोहनीबाई पुत्री नन्दकिशोर के खाते में कुल 04 किता की 16 बीघा 06 बिस्वा आराजी दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 1223 दिनांक 05.04.2016 को नोट अंकित है जिसके अनुसार मोहनी बाई के 1/4 हिस्से पर क्रेता ओमप्रकाश आत्मज मोडूलाल का नाम दर्ज किया गया । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2072 की प्रति संलग्न की गई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2071–75 नया खाता संख्या 254 संलग्न है जिसके अनुसार 03 किता की 14 बीघा 02 बिस्वा आराजी रतन लाल, रामप्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद पिसरान कन्हैया लाल, सोहनीबाई, राजीबाई पुत्रियॉ कन्हैया लाल, कस्तूरीबाई पत्नी कन्हैया लाल कौम खाती के खाते में दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 1059/547 रकबा 04 बीघा भूमि शामिल है इसमें नामान्तरकरण संख्या 1185 दिनांक 19.08.2015 और नामान्तरकरण संख्या 1186 दिनांक 19.08.2015 का नोट अंकित है ।

नामान्तरकरण संख्या 1186 से खसरा नम्बर 1059/547 रकबा 04 बीघा पर तरमेस गर्ग वल्द रामकुंवार खातेदार दर्ज होने का नोट अंकित है । पत्रावली पर अप्रार्थी मोहन लाल एवं सत्यनारायण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट तरमेस गर्ग ने अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 1059/547 रकबा 04 बीघा तक पहुंचने के लिए अपीलान्टगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1057/545 रकबा 04 बीघा से रास्ता कायम करने की प्रार्थना की थी । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट एवं मोहन लाल के द्वारा जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है उसका अवलोकन किया गया उसमें यह कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1057/545 पर सत्यनारायण का कब्जा है, सत्यनारायण को ही बंटवारे में प्राप्त हुई है इस कारण समस्त मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकार सत्यनारायण का ही है । परन्तु वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मोहन लाल, सत्यनारायण, महावीर पिसरान नन्दकिशोर और ओमप्रकाश आत्मज मोडूलाल के खाते में दर्ज है । ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत अपीलान्ट के कथन के आधार पर समस्त मुआवजे की राशि का भुगतान सत्यनारायण को नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1059/457 में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है परन्तु यह वैकल्पिक रास्ता कौनसा है यह न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही अपीलीय न्यायालय में स्पष्ट किया गया है । साथ ही जवाब प्रार्थना पत्र में 03 गुना मुआवजा राशि प्रदान करने की प्रार्थना की है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि डीएलसी दर का दोगुना ही हो सकती है । पत्रावली पर आईएलआर की रिपोर्ट संलग्न है और नक्शा ट्रेस की प्रति भी पेश की गई है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर और आईएलआर की रिपोर्ट प्राप्त कर धारा 251 (ए) के प्रावधानों के अनुसार रास्ता कायम किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । अपीलान्ट यह कथन करते हैं कि वैकल्पिक रास्ता मौजूद है परन्तु वैकल्पिक रास्ता कौनसा है यह परीक्षण न्यायालय में अथवा अपीलीय न्यायालय में स्पष्ट नहीं किया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2018 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा